

मसुदा
8/11/17/223

मंगल सिंह व राम लाल मौर्य

दिनांक पत्र	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री <u>शौकिन्द लाल</u> श्री <u>राकेश अरोड़ा</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.17	<p>पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रकरण को आगे नहीं चलाने बाबत पेश किया, जो शामिल पत्रावली हों। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट ने निवेदन किया, कि अपीलांटस एवम् रेस्पोंडेन्टस के मध्य गांव के मौतविरान व्यक्तियों की आपसी समझाईश अनुसार दोनो पक्षों में विवादित आराजियात बाबत सड़क के मुख्य भाग पर अच्छी से अच्छी एवम् बुरी से बुरी भूमि के सम्बन्ध में आपसी राजीनामा होने के कारण अपील विद्धो के बाद आपस में जरिये विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्राज दर्ज होने बाबत दोनो पक्षों के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है यदि द्वितीय पक्ष उक्त बाहरी राजीनामा को अपील विद्धो होने पर इंकार करने पर अपील को पुनः इसी स्तर पर नम्बर पर लेने का हक व अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को विद्धो करना चाहते है, जिसमें दोनो पक्ष सहमत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को विद्धो किये जाने के आदेश प्रदान करावें।</p> <p>अपीलांट संख्या 01 से 3/2 स्वयं उपस्थित हुए, अपीलांट संख्या 3/3, 3/4 नाबालिग होने से उनकी ओर से माता समीदा उपस्थित हैं। अपीलांटस ने अपने आधार कार्ड की प्रति स्वयं हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की है, जो शामिल पत्रावली हों। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 मंगल सिंह स्वयं उपस्थित हुए। अपीलांटस की पहचान उनके अभिभाषक श्रीशौकिन्द लाल गुर्जर ने की एवम् रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 मंगल की पहचान उनके अभिभाषक श्री राकेश अरोड़ा ने की।</p> <p>अभिभाषक अपीलांटस अपील को विद्धो करना चाहते है एवम् रेस्पोंडेन्ट को भी कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः अपील अपीलांटस विद्धो किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	<p>अपीलांटस मंगल सिंह 22/12/17 शौकिन्द सिंह (11/12/17) राकेश अरोड़ा 4/11/17 मंगल सिंह राकेश अरोड़ा Reg 48 9/11/18 के L.C. की उपस्थिति निष्पत्ति गई।</p>

राजस्थान न्यायालय प्रशासक
अजमेर